Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी/एल.आर./4347/2005/कोटा

1. भैरूलाल पुत्र कल्याण, जाति मीणा, निवासी गांवडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।
2. सत्यनारायण पुत्र कल्याण, जाति मीणा, निवासी गांवडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।
3. बदरी पुत्र कल्याण, जाति मीणा, निवासी गांवडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।

-- प्रार्थीगण

बनाम

1. बिरधी पुत्र कल्याण, जाति मीणा, निवासी गांवडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।
2. रामकरण पुत्र कल्याण, जाति मीणा, निवासी गांवडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।
3. श्रीमती प्रयाग देवी पत्नी विशम्भर नाथ, जाति ब्राहमण/कायस्थ, निवासी मनोज टॉकीज के पास, मालारोड, भीमगंज मण्डी, कोटा।
4. श्रीमती निर्मला पत्नी स्व0 रामभरोसीलाल, जाति ब्राहमण/कायस्थ, निवासी मनोज टॉकीज के पास, मालारोड, बाल मंदिर रोड, भीमगंज मण्डी, कोटा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा।

-- अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

उपस्थित :-
(1) श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
(2) श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांकः 21 मई, 2018

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा के निर्णय दिनांक 31-8-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा ने अपने समक्ष जैरकार अपील संख्या 111/2002 शीर्षक श्रीमती प्रयागदेवी

<u>निगरानी/एल.आर./4347/2005/कोटा</u>
भैरूलाल बनाम बिरधी

बनाम भैरूलाल को स्वीकार कर जिला कलक्टर, कोटा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02–7–2002 को खारिज किया है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्यानुसार वादीगण/वर्तमान प्रार्थी संख्या 1 से 3 तथा वर्तमान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने एक दावा संख्या 209/1990 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 शीर्षक बिरधीलाल आदि बनाम निर्मला कुमारी आदि न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0), कोटा के समक्ष प्रस्तुत कर खसरा नं0 181/547 रकबा 0.88 है0 भूमि पर खातेदारी अधिकार की घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। विद्वान सहायक कलक्टर (मु0), कोटा ने अपने एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 04–12–1992 के द्वारा दावा को स्वीकार कर दावा डिक्री कर दिया। विद्वान सहायक कलक्टर (मु0), कोटा के निर्णय व डिक्री दिनांक 04–12–1992 की पालना में इंतकाल संख्या 66 दिनांक 22–9–1993 स्वीकार किया गया। विद्वान सहायक कलक्टर (मु0), कोटा के एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 04–12–1992 के विरूद्ध वर्तमान अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने एक प्रार्थना पत्र संख्या 95/1996 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13, जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 04–12–1992 को निरस्त करने का निवेदन किया। विद्वान सहायक कलक्टर (मु0), कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 20–3–1997 के द्वारा अपने पूर्व प्रसारित एकपक्षीय निर्णय दिनांक 04–12–1992 को निरस्त कर दिया। विद्वान सहायक कलक्टर (मु0), कोटा के निर्णय दिनांक 20–3–1997 की पालना में इंतकाल संख्या 98 दिनांक 05–4–1997 स्वीकृत किया गया। इंतकाल संख्या 98 दिनांक 05–4–1997 के विरूद्ध एक अपील संख्या 15/2000 शीर्षक भैरूलाल बनाम श्रीमती निर्मला आदि न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा के समक्ष प्रस्तुत की गई। विद्वान जिला कलक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 02–7–2002 के द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार, लाडपुरा को प्रतिप्रेषित कर दिया। विद्वान जिला कलक्टर, कोटा के निर्णय दिनांक 02–7–2002 के विरूद्ध द्वितीय अपील संख्या 111/2002/76 शीर्षक श्रीमती प्रयागदेवी बनाम भैरूलाल विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा के समक्ष दिनांक 28–8–2002 को प्रस्तुत की गई। विद्वान

<u>निगरानी/एल.आर./4347/2005/कोटा</u>
भैरूलाल बनाम बिरधी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 111/2002 के जैरकार रहते हुए तहसीलदार, लाडपुरा ने विद्वान जिला कलक्टर, कोटा के निर्णय दिनांक 02–7–2002 की पालना में प्रतिप्रेषित प्रकरण संख्या 08/2002 दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 05–10–2004 के द्वारा खसरा नं0 181/547 रकबा 0.88 है0 भूमि वर्तमान प्रार्थीगण के नाम से दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये। इसके साथ–साथ जिला कलक्टर, कोटा के निर्णय दिनांक 02–7–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील संख्या 111/2002 को विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 31–8–2005 के द्वारा निर्णित करते हुए जिला कलक्टर, कोटा के निर्णय दिनांक 02–7–2002 को निरस्त कर दिया तथा विद्वान तहसीलदार, लाडपुरा को आदेश किया कि विद्वान जिला कलक्टर, कोटा के निर्णय दिनांक 02–7–2002 की अनुपालना में यदि कोई कार्यवाही तहसीलदार द्वारा की गई है तो वह कार्यवाही भी प्रभावहीन एवं शून्य है। विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा के निर्णय दिनांक 31–8–2005 के विरूद्ध वर्तमान निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

4– वादीगण/वर्तमान प्रार्थी संख्या 1 से 3 एवं वर्तमान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत दावा संख्या 209/1990 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम शीर्षक बिरधीलाल बनाम श्रीमती निर्मला आदि को विद्वान सहायक कलक्टर (मु0), कोटा ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04–12–1992 के द्वारा स्वीकार कर डिक्री किया। निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04–12–1992 एकपक्षीय डिक्री थी, जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण/वर्तमान अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने एक प्रार्थना पत्र संख्या 95/96 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13, जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 04–12–1992 को निरस्त करने का निवेदन किया। विद्वान सहायक कलक्टर (मु0),

<u>निगरानी/एल.आर./4347/2005/कोटा</u>
भैरूलाल बनाम बिरधी

कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 20–3–1997 के द्वारा पूर्व प्रसारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4–12–1992 को निरस्त कर दिया, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि दिनांक 20–3–1997 से वादीगण/ वर्तमान प्रार्थी संख्या 1 से 3 एवं वर्तमान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में कोई भी निर्णय एवं डिक्री नहीं है। जब वादीगण/वर्तमान प्रार्थी संख्या 1 से 3 एवं वर्तमान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में कोई निर्णय एवं डिक्री नहीं है तो तहसीलदार किसी भी प्रकार से इंतकाल की कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि यह प्रकरण विद्वान सहायक कलक्टर (मु0), कोटा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04–12–1992 से प्रारम्भ हुआ था तथा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04–12–1992 को दिनांक 20–3–1997 के निर्णय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। निर्णय एवं डिक्री के अभाव में तहसीलदार किसी भी प्रकार के इंतकाल की कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है। विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा ने अपना निर्णय दिनांक 31–8–2005 इसी आधार पर पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है।

5– फलस्वरूप, हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य